सं.– 7007/9-1-90

प्रेषक,

श्री पी. उमाशंकर
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर 1990

नेहरू रोजगार योजना कोष्ठक (नगर विकास विभाग)

विषय : नेहरू रोजगार योजना एवं रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना के अन्तर्गत आय प्रमाण-पत्र देने का अधिकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–6626/9-1-90 दिनांक 24-8-90 तथा संख्या–6259/9-1-90-1 ने/89, दिनांक 27-8-1990 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश के साथ प्रेषित रूप रेखाओं में आय का प्रमाण-पत्र देने का अधिकारी नगर महापालिकाओं में मुख्य नगर अधिकारी (या उसके द्वारा नामित अधिकारी जो उप नगर अधिकारी स्तर से कम न हो), नगर पालिकाओं में अधिशासी अधिकारी एवं टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया में सचिवों को दिया गया है।

2. आय प्रमाण-पत्र देने के विषय पर सम्यक विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित दोनों योजनाओं के अन्तर्गत आय का प्रमाण-पत्र संबंधित जिला तहसील से भी प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय,

श्री पी. उमाशंकर
विशेष सचिव